

मध्य प्रदेश में सिन्ध नदी योजना

701. श्री ना० कृ० शेजवलकर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सिन्ध नदी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके शीघ्र कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयाँ हैं ;

(ख) इस योजना के कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या पूर्व योजना में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

[SINDH RIVER SCHEME IN MADHYA PRADESH]

701. SHRI N. K. SHEJWALKAR : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER/ सिंचाई और विद्युत् मंत्री be pleased to state :

(a) what is the present position of the Sindh River Scheme of Madhya Pradesh, and what are the difficulties in its early implementation;

(b) the time by when the scheme is likely to be taken up;

(c) whether any changes have been made in the previous scheme; and

(d) if so, the reasons therefor?]

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से जनवरी, 1971 में प्राप्त सिन्ध नदी परियोजना के चरण-1 की परियोजना रिपोर्ट पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में तकनीकी जांच हो रही है ।

बेहतर नींव उपलब्ध होने के कारण प्रस्तावित विवर स्थल, मूल रूप से परिकल्पित स्थल की अनुप्रवाह दिशा में खिसका दिया गया है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER/सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (d) The project report for phase I of the Sindh river project, received in January, 1971 from the Government of Madhya Pradesh is under technical examination in the Central Water and Power Commission.

The proposed weir site has been shifted downstream of the originally contemplated site as better foundations were available.]

मध्य प्रदेश को माताटीला संयंत्र से बिजली की सप्लाई

702. श्री ना० कृ० शेजवलकर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इस आशय का निर्णय किया था कि मध्य प्रदेश में पिछौर और ग्वालियर को 132 के० वी० लाईंस से जोड़ा जाय तथा माताटीला संयंत्र से बिजली प्राप्त की जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय के कार्यान्वयन में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

†[POWER SUPPLY FROM MATATILA PLANT FOR MADHYA PRADESH]

702. SHRI N. K. SHEJWALKAR : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER/ सिंचाई और विद्युत् मंत्री be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Working Group of the Planning Commission have taken a decision to the effect that Pichhore and Gwalior in Madhya Pradesh, should be connected with 132 KV line, and the power should be made available from the Matatila Plant; and

(b) if so, what are the reasons for the delay in the implementation of the said decision?]

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) योजना आयोग ने ग्वालियर को पिछौर से मिलाते हुए एक 132 के० वी० का रेखण पथ की स्वीकृति दी थी ताकि मध्य प्रदेश ग्वालियर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में स्थित माताटीला जल-विद्युत् केन्द्र से अपने विद्युत् के भाग का समुपयोजन कर सके।

(ख) कार्यान्वयन में कोई देरी नहीं हुई है। यह पथ निर्माण की प्रौढावस्था में है और इसका सितम्बर, 1971 में पूरा होना अनुसूचित है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER/ **सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (SHRI BAIJ NATH KUREEL):** (a) The Planning Commission sanctioned a 132 KV transmission line linking Gwalior with Pichhore to enable Madhya Pradesh to utilise their share of power from the Matatila Hydro Power Station located in Uttar Pradesh in the Gwalior area.

(b) There has been no delay in the implementation. The line is in an advanced stage of construction and is scheduled for completion in September, 1971.]

रेल वैगनों में विस्फोटक पदार्थों का ले जाया जाना

703. श्री सूरज प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) पिछले एक वर्ष के अन्दर रेलवे वैगनों में विस्फोटक पदार्थ ले जाये जाने के कितने मामले पकड़े गये हैं;

(ख) गत एक वर्ष में रेलवे वैगनों में विस्फोट की कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) विस्फोटक पदार्थ रेल वैगनों में न ले जाये जायें, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं ?

†[CARRYING OF EXPLOSIVE MATERIAL IN RAILWAY WAGONS

703. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS/ **रेल मंत्री** be pleased to state :

(a) what is the number of cases of carrying explosive material in railway wagons, which have been detected during the last one year;

(b) what is the number of incidents of explosions in railway wagons which occurred during the last one year; and

(c) what steps have been taken by Government to ensure that explosive material is not carried on railway wagons?]

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान रेलवे के माल डिब्बों में गैर-कानूनी ढंग से विस्फोटक सामान ले जाने का कोई मामला नहीं पकड़ा गया।

(ख) कोई नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF (RAILWAYS/ **रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) :** (a) No cases of illegal carrying of explosive material in Railway wagons were detected during the last one year.

(b) Nil.

(c) Does not arise.]

उड़ीसा में कागज का कारखाना लगाया जाना

704. श्री सूरज प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा के कोरापुर जिले में 30 करोड़ रुपये की लागत से कागज का एक कारखाना लगाने के लिये हाल में एक लाइसेन्स दिया है ;